



कार्यालय मुख्य आयुक्त  
Office of the Chief Commissioner  
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर  
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur  
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

**स्थापना आदेश संख्या : सी.सी.यू.- CCU - 68/2025**

एसएससी द्वारा आयोजित सलेक्शन पोस्ट फेज-XI परीक्षा-2023 के माध्यम से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, हैदराबाद में सब-इंस्पेक्टर/फायर के पद पर चयन के परिणामस्वरूप, श्री मोहन सिंह, हवलदार (ग्रुप 'सी'-नैर राजपत्रित), सीमा शुल्क आयुक्तालय, जोधपुर (मु. जयपुर) द्वारा दिनांक 11.08.2025 को दिया गया तकनीकी त्यागपत्र को दिनांक 20.08.2025 से स्वीकार किया जाता है।

Consequent upon selection to the post of Sub-Inspector/Fire in Central Industrial Security Force, Hyderabad through SSC Selection Post, Phase-XI Examination, 2023, the **Technical Resignation** dated 11.08.2025 tendered by Shri Mohan Singh, Havaladar (Group 'C' - Non Gazetted), Customs Commissionerate, Jodhpur (Hqrs. at Jaipur) is hereby accepted **w.e.f. 20.08.2025**.

चूंकि अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं की है और इस विभाग में हवलदार के पद पर स्थायी नहीं हुए हैं, इसलिए हवलदार ग्रेड में विभाग में उनका कोई ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा।

As the officer has not completed the probation period and has not been confirmed in this department on the post of Havaladar, therefore, he will not retain any lien in the department in grade of Havaladar.

यह आदेश नियुक्ति प्राधिकारी की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।  
This order issues with the approval of the Appointing Authority.

(अनुपमा सक्सेना)  
सहायक आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी प्रति- श्री मोहन सिंह, हवलदार, सीमा शुल्क आयुक्तालय, जोधपुर (मु. जयपुर)।
2. संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.), सीमा शुल्क आयुक्तालय, जोधपुर (मु. जयपुर) को उनके कार्यालय के पत्र सं. F. No. II/(39)/OTH/324/2020-Admn/Estt-O/o Commr-Cus-Prev-Jodhpur दिनांक 20.08.2025 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि श्री मोहन सिंह, हवलदार को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध कोई सरकारी / विभागीय देयता एवं सतर्कता / असतर्कता सम्बन्धी प्रकरण इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात श्री मोहन सिंह, हवलदार को कार्यभार मुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
3. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/उदयपुर/जोधपुर/अंकेक्षण जयपुर /अंकेक्षण जोधपुर/ अपीलस, जयपुर/अपीलस, जोधपुर/सीमा शुल्क आयुक्तालय, मुख्या.-जयपुर।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन, जयपुर।
6. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/ संबंधित एसोसियेशन/ सूचना पट्ट।